कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-77/2016-17/

दिनांक : /02/2017

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पंचायत, चिन्यालीसौड़

जनपद- उत्तरकाशी

विषय : नगर पंचायत, चिन्यालीसौड़ का वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 4 (ब)-1 में **शून्य** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **04** प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या- 77/2016-17/ **दिनांक: /02/2017**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 साईं इंस्टीट्यूट के पास, राजपुर रोड, देहरादून

2- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आडिटनिदेशालय (, द्वितीयतल-, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिये नगर पंचायत- चिन्यालीसौड़, जनपद- उत्तरकाशी पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत अधिशासी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

(ii) सुशील कुमार कुरील - अधिशासी अधिकारी

(ब) के नाम तथा पदनाम संप्रेक्षा सदस्यों

(i) श्री मधुकर मिश्र, व.ले.प.

(ii) श्री पी.एल. शर्मा, स.ले.प.अ. .

(iii) श्री अर्जन सिहं, स.ले.प.अ.

(iv) श्री एस. के त्यागी, व.ले.प.अ.

(स) संप्रेक्षा तिथि 13.12..2016 से 17.12..2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि :05/2013 से 17.12.16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **नगर पंचायत- चिन्यालीसौड़, जनपद- उत्तरकाशी**

(अ) उपरोक्त यदि ज़िला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतो तथा ग्राम पंचायतों की संख्या हैः-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः

भौगोलिक क्षेत्र :- 6.18 वर्ग. किमी

जनसंख्या :

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या:-07

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः-07

4- (ब) उपसमितियों , स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या: बैठक:

5- कर्मचारियों की संख्याः-

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां :-

7- पंचायती राज के अपने प्रोजेक्ट :--

8- योजनाओं की संख्या

9- (अ) सामाजिक संरक्षाः-

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धितः-

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें

(द) लाभार्थियों की संख्याः-

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय : आय व्यय विवरण के अनुसार-

(अ)-सामान्यः भाग 3 के अनुसार

(ब) योजनाओं पर प्रत्येक योजना का अलगएवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये। (अलग दर्शाया जाये-

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है -

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः कार्यालय **नगर पंचायत- चिन्यालीसौड़, जनपद- उत्तरकाशी** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री एस. के त्यागी, व.ले.प.अ. श्री पी.एल. शर्मा, स.ले.प.अ श्री अर्जन सिहं, स.ले.प.अ. एवं श्री मधुकर मिश्र, व.लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 13.12.2016 से 17.12.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0

	प्रस्तर भाग 4(ब)-1	**प्रस्तर भाग 4(ब)-2**
(i)महालेखाकार कार्यालय लम्बित प्रस्तर (प्रथम लेखा परीक्षा)		-

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर: -		

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची: - शून्य

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख: - 1. 2013-14 एवं 2014-15 की रोकड़ बही

2. (i) कार्य पंजिका

(ii) निछेप पंजिका

(iii) अग्रिम पंजिका

(iv) संपत्ति पंजिका

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 1- वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 के आर्थिक चिटठों में दायित्वों का क्रमशः ` 35.44 लाख व ` 1.45 लाख से कम दिखाया जाना ।

किसी संस्था,इकाई अथवा फर्म का आर्थिक चिटठा उस संस्था, इकाई अथवा फर्म की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है।

नगर पंचायत, चिन्यालीसौड़ के वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 के आर्थिक चिटठों व सहायक अभिलेखों के अवलोकन में संज्ञान में आया कि नगर पंचायत को वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की अयोजना नगरीय मजदूरी रोजगार योजनार्गत ` 24.81 लाख की राशि राज्य नगरीय विकास अभिकरण(सूड़ा) से फरवरी 2014 में प्राप्त हुई थी। इसके पूर्व वित्तीय वर्ष 2012-13 में भी ` 24.81 लाख की राशि नवम्बर 2012 में इसी मद के अन्तर्गत सूड़ा से प्राप्त हुई थी, जिसका उपयोग सम्बन्धित वित्तीय वर्ष पंचायत द्वारा नही किया गया था। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस मद में ` 49.86 लाख ब्याज सहित की राशि उपलब्ध थी जिसमें से ` 14.18 लाख का व्यय पंचायत द्वारा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में किया गया था। अवशेष राशि ` 35.68 लाख को पंचायत की वित्तीय वर्ष 2013-14 की बैलेस शीट के दायित्व पक्ष में 'अनुदान' शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाना चाहिए था। किन्तु ऐसा न कर नगर पंचायत की वित्तीय वर्ष 2013-14 की बैलेन्स शीट के दायित्व पक्ष को ` 35.68 लाख कम दिखाया गया था।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगर पंचायत को 13 वें वित्त के अन्तर्गत ` 6.09 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था जिसका उपभोग सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में कर लिया गया था, किन्तु सम्बन्धित वर्ष की बैलेन्स शीट में 13 वें वित्त के अन्तर्गत ` 11525/- का अनुदान दिखाया गया था जिसका उपभोग वित्तीय वर्ष में नही दिखाया गया था, परिणाम स्वरुप वित्तीय वर्ष 2014-15 की बैलेस शीट में ` 11525/-से दायितों को अधिक दर्शाया गया था। उक्त के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2014-15 आय-व्यय विवरण में Revenue Grants, Contributions & subsidies"व Interest Earned"मदों के अन्तर्गत क्रमशः ` 12,72,931/-व `1,49,354/- की आय दिखायी गयी थी जबकि सम्बन्धित शिडयूल्स(1-6व1-8) में उक्त मदों के अन्तर्गत क्रमशः ` 14,04,664/--व ` 1,74,903/-/- की आय दिखायी गयी थी। स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 में पंचायत की आय क्रमशः `1,31,733/-व ` 25,549/- से कम दिखायी गयी थी, परिणामस्वरुप municipal(General) Fund ` 1,57,282/- से कम होने के कारण सम्बन्धित वर्ष के दायित्व इसी राशि से कम हो गये थे।

अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 में एक ओर जहाँ नगर पंचायत के दायित्वों में ` 11525/- की वृद्धि दिखायी गयी थी, वहीं दूसरी ओर दायित्व में ही ` 1,57,282/- की कमी दिखायी गयी थी, फलस्वरुप, उक्त वित्तीय वर्ष में पंचायत के दायित्वों में ` 1,45,757/- (` 1,57,282-11525) की कमी दर्शायी गयी थी।

इस प्रकार, नगर पंचायत के दायित्वों को वित्तीय वर्ष 2013-14 में ` 35.44 लाख व वित्तीय वर्ष 2014-15 में ` 1.45 लाख से कम दिखाया गया था जिसके कारण उपरोक्त वर्षो के चिटठे नगर पंचायत की वास्तविक स्थिति को नही दर्शाते है।

इंगित किये जाने पर नगर पंचायत द्वारा अवगत कराया गया कि चार्टड एकाउंन्टैन्ट से वार्ता कर सम्प्रेक्षा को उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि प्राप्त अनुदानों को न दिखाया जाना अथवा गलत दिखाया जाना एवं आय को कम दिखाया जाना पंचायत के आर्थिक चिटठों की शुद्धता/ सार्थकता पर प्रश्नचिहं लगाता है।

अतः नगर पंचायत के आर्थिक चिटठों में दायित्वों को कम दिखायें जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 2- ठोस अपशिष्ठ से सम्बन्धित(प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के नियमों का पालन न करना।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियम 2000(Municipal solid waste Management and handing2000) के अनुसार प्रत्येक नगर निगम/ नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत, नगरीय ठोस अपशिष्टों के निस्तारण हेतु उसका संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंकरण, एवं निपटान(Collection, storage, Segregation, Transportation, processing & disposal) के लिए उत्तरदायी होगा । उक्त कार्य नगर पंचायत द्वारा स्वयं या किसी ऐजेन्सी के माध्यम से भी करा सकता है। उक्त नियमों के अनुसार निकायों को राज्य प्रदूषण बोर्ड से अनापति प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होता है । नगरीय ठोस अपशिष्ट का भण्डारण खुले वातावरण में न हो, तथा भंडारण सुविधायें या बिन्स नगरीय ठोस अपशिष्टों के हथालन और परिवहन के लिए एवं सहज प्रथालन के लिए डिजाईन होगी। कूडे का परिवहन बंद वाहनों में किया जाए ताकि कूडा सड़क पर न फैले तथा स्थानीय जनता को महामारी एवं बीमारियों का सामना न करना पडे।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कूडे के निस्तारण ,संग्रहण, एवं परिवहन नियमों के अनुसार नही किया जा रहा है। कूडे का संग्रहण खुले वातावरण में किया जा रहा है। परिवहन हेतु बंद वाहनों का उपयोग नहीं किया जा रहा था। कूडे के निस्तारण एवं प्रसंस्करण हेतु व्यवस्था नही की गई थी । ट्रेचिंग ग्राउण्ड एवं पृथक्करण करने की व्यवस्था नहीं थी। नगर पंचायत द्वारा केवल एक खुले वाहन का उपयोग किया जा रहा था।

उपर्युक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण निगमों का पूर्ण पालन नहीं हो पा रहा है। तथा अनापति प्रमाण पत्र हेतु राज्य प्रदूषण बोर्ड के स्तर पर कार्यवाही गतिमान है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि दस लाख की धनराशि व्यय करने के पश्चात भी नियमों का सुसंगत पालन नही किया जा रहा है जबकि केंद्र/ राज्य शासन द्वारा इस संबंध के दिशा निर्देश जारी किए जाते है तथा नियमों का कड़ाई से पालन करने हेतु आदेशित किया जाता है ।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 3- नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित आवासों का गृहकर हेतु मूल्यांकन न किए जाने से राजस्व की हानि।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद अधिनियम 1959 धारा 128 एवं 140 (जो कि उत्तराखण्ड में भी लागू है) के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित भवनों का मुल्यांकन कर करों को अधिरोपित करके वसूली की जानी अपेक्षित रहती है ताकि निकाय की आय को वृद्धि हो सके। उक्त अधिनियम की धारा 140 के अनुसार भवनों के वार्षिक मूल्य पर कर निर्धारित किया जाता है। जिसमें भूमि एवं निर्माण की लागत को जोड़कर निर्धारित किया जाता है।

नगर पंचायत, चिन्यालीसौड़ में गृहकर से सम्बन्धित जांच में पाया गया कि न तो आवासीय भवनों का मूल्यांकन किया गया था न ही किसी अन्य दर से गृहकर वसूला गया था।

कर निर्धारण एवं वसूली न होने के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में सर्वे का कार्य किया जा रहा है तथा सर्वे पूर्ण होने के पश्चात शीघ्र ही भवन कर लगाया जाएगा।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि नगर पंचायत के अस्तित्व में आने के तीन वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी उक्त करों के अधिरोपन हेतू कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है जिसके कारण इकाई को वार्षिक राजस्व की क्षति हो रही है।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 4- अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत लागत ` 11.37 लाख के कार्यों का अपूर्ण/अनारम्भ रहना।

वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 में नगर पंचायत, चिन्यालीसौड़ को अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत क्रमशः ` 57.73 लाख व ` 152.62 लाख का अनुदान विभिन्न विकास कार्यों हेतु प्राप्त हुआ था । स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2014-15व 2015-16 के दो-दो कार्य (स्वीकृत लागत क्रमशः ` 5.44लाख व `5.93 लाख) जिनमें से दोनों वित्तीय वर्षों के एक-2 कार्य अनारम्भ थे, मार्च 2016 तक पूर्ण नहीं हो सके थे। उक्त दोनों वर्षों के अपूर्ण कार्यों पर पंचायत द्वारा मार्च 2016 तक क्रमशः 1.19 लाख व ` 2.16 लाख का व्यय किया गया था।

अपूर्ण /अनारम्भ कार्यों का विवरण निम्नवत था-

क्र.स.	कार्य का विवरण	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	कार्य की स्वीकृत लागत **(` में)**	मार्च 2016 तक किया गया व्यय **(` में)**
1.	निकट उत्तम सिंह भवन से श्यामपुर मार्ग की ओर पी.सी.सी. सड़क निर्माण	15.03.2015	14.04.2015	2,75,000=00	1,19,428=00
2.	निकट धनपुर बैड़ से नहर तक वार्ड-6 नागणी धनपूर	15.03.2015	14.04.2015	2,69,000=00	शून्य
3.	निकट राजेन्द्र भवन वार्ड़ न-01 सुरक्षा दीवार एवं पी.सी.सी. सड़क निर्माण	01.08.2015	31.08.2015	2,97,000=00	शून्य
4.	निकट पारस होटल के पीछे से कृष्णा होटल के पीछे तक वार्ड-06 नागणी धनपूर सीमेंट कंक्रीट नाली निर्माण	01.08.2015	31.08.2015	2,96,000=00	2,16,392=00

क्रमांक -03 पर इंगित कार्य आपसी विवाद के कारण प्रारम्भ नही हो सका था । शेष कार्यों के अनारम्भ/ अपूर्ण रहने के संबंध में इंगित किये जाने पर नगर पंचायत द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया जबकि उक्त कार्यों को पूर्ण किये जाने की निर्धारित अवधि कार्य प्रारम्भ की तिथि से मात्र एक माह थी जिसके अनुसार अगस्त 2015 तक उक्त सभी कार्यों को पूर्ण करा लिया जाना चाहिए था।

अतः कार्य प्रारम्भ करने की तिथि के 8 से 12 माह पश्चात भी कार्यों के पूर्ण न हो पाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-4, अनुभाग (स)

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **नगर पंचायत-चिन्यालीसौड़,जनपद-उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,सी-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्था0नि0